केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority

(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सत्यमेव जयते

CARA

सं./No. E 96181/CARA-EA043/9/2021

Azadi Ka Amrit Mahotsav

दिनांक/Date 25.06.2024

कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

यह देखा गया है कि जिला स्तर के प्राधिकारी अक्सर जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए गए दत्तक-ग्रहण आदेश CARINGS पोर्टल पर अपलोड करने के लिए CARA को अग्रेषित कर रहे हैं।

It has been observed that District Level Authorities are frequently forwarding adoption orders issued by District Magistrates to CARA for uploading them on CARINGS.

2. इस संबंध में, कृपया दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के निम्नलिखित विनियमों का अवलोकन करें:

In this regard, the following Regulations of Adoption Regulations, 2022 may kindly be perused:

विनियम 13 (8): विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट से दत्तक-ग्रहण के आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और इसे दस दिनों के भीतर भावी दत्तक माता-पिता को ई-मेल के माध्यम से अग्रेषित करेगा और इसे अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा जिसे भावी दत्तक माता- पिता द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

Regulation 13 (8): The Specialised Adoption Agency shall obtain a certificate copy of the adoption order from the District Magistrate through the District Child Protection Unit and forward it to the prospective adoptive parents within ten days via e-mail and shall also upload it on the Designated Portal which could be downloaded by the prospective adoptive parents.

विनियम 61 (12) जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से दत्तक-ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा और भावी दत्तक माता-पिता (PAPs), बालक देखरेख संस्था (CCI), विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण (SAA) को उसकी प्रति प्रस्तुत करेगा और अभिहित पोर्टल पर उसे अपलोड करेगा।

Regulation 61 (12): The District Child Protection Unit shall obtain a certified copy of the adoption order from the office of the District Magistrate and furnish a copy of the same to the prospective adoptive parents, Child care Institution, Specialised Adoption Agency and upload it on the Designated Portal.

Contd...2/-

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत)

West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

टोलफ्री / Tollfree : 1800-11-1311, 011-26760471, 26760472,26760473

ई–मेल / E-mail : carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट / Website : cara.wcd.gov.in

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया सुनिश्चित करें कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक-ग्रहण आदेश पोर्टल पर मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा ही CARINGS पर अपलोड किए जाएँ। यदि CARINGS पोर्टल पर दत्तक-ग्रहण आदेश को अपलोड करने के संबंध में कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे CARA के संज्ञान में लाएँ तथा स्क्रीनशॉट के साथ ई-मेल carahdesk.wcd@nic.in पर भेजें।

In view of above, kindly ensure that all adoption orders issued by District Magistrates should be uploaded on CARINGS at the level of District Child Protection Unit (DCPU) as per the existing provisions on portal. If any technical issue arises regarding uploading the adoption order on CARINGS portal, the same may be brought into the notice of CARA through email with screen shot to carahdesk.wcd@nic.in.

(डॉ. जगन्नाथ पति)
(Dr. Jagannath Pati)
निदेशक (कार्यक्रम)
Director (Programme)

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी नोडल अधिकारी/ All Nodal Officers at State/UT level
2. राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण/ State Adoption Resource Agencies (SARAs)
3. बाल कल्याण समिति / Child Welfare Committees (CWCs)
4. जिला बाल संरक्षण इकाई/ District Child Protection Units (DCPUs)
5. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण/ Specialised Adoption Agencies (SAAs)
6. बाल देखरेख संस्था/Child Care Institutions (CCIs)